



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 13692/2025
URN: CRLMB / 26460U / 2025

Satyam Bhadada S/o Shri Sanjay Bhadada

-----Petitioner

Versus

Union of India

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Ashish Gausinga, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Tej Prakash Sharma, SPP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

02/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी अवैध की गयी है और सी.सी.टी.वी. फुटेज विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा रही है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि The Zonal Director, Narcotics Control Bureau Vs. Satyam Bhadada एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 2023/2026 में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2026 की पालना में सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग की मूल सी.डी. विद्वान विचारण न्यायालय में सीलबंद अवस्था में प्रस्तुत की जा चुकी है। उनके पास मूल सी.डी. उपलब्ध नहीं है तथा सी.सी.टी.वी. फुटेज का फर्द विश्लेषण तैयार नहीं किया गया है।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सी.सी.टी.वी. फुटेज की सी.डी. की दूसरी प्रति से सी.सी.टी.वी. फुटेज का फर्द विश्लेषण तैयार कर आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत किया जावे। मूल



सी.डी. से सी.सी.टी.वी. फुटेज का फर्द विश्लेषण तैयार नहीं किया गया है या सी.सी.टी.वी. फुटेज की दूसरी प्रति उपलब्ध नहीं है या सी.सी.टी.वी. फुटेज से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड कार्यालय में नहीं है, तो इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी/अन्वेषण अधिकारी आगामी तारीख पेशी पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक फर्द गिरफ्तारी की प्रति, अभियुक्त को कब गिरफ्तार किया गया, उसके केस डायरी में अंकन, सी.सी.टी.वी. फुटेज की सी.डी. की फर्द कब बनायी गयी, इन तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। ऐसी स्थिति में आगामी तारीख पेशी पर संबंधित थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी संपूर्ण केस डायरी तय तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित रहें। उक्त आदेश की पालना नहीं किये जाने पर इसे गंभीरता से लिया जावेगा।

प्रकरण दिनांक 08.07.2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/02